भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 568

उत्तर देने की तारीख : 03.12.2025

प्रधानमंत्री 15-सूत्रीय कल्याण कार्यक्रम

568. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कल्याण कार्यक्रम वर्तमान में क्रियान्वित है और यदि हाँ, तो उसकी स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही विशिष्ट योजनाओं की संख्या क्या है और विगत पाँच वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें राजस्थान के झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लाभार्थी भी शामिल हैं;

(ग) अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं, विशेषकर शिक्षा और कौशल विकास के संदर्भ में, के समुचित कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है; और

(ङ) अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धनराशि के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सहभागी मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर प्राप्त हों और वे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अन्य सहभागी मंत्रालयों की योजनाएं इस प्रकार हैं:

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजनाएं

v. समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)

vi. दीन दयाल अन्त्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम)- (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

vii. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

viii. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

ix. दीन दयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)

x. बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण (वित्तीय सेवाएं विभाग)

xi. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवाएं विभाग)

xii. पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)

xiii.राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

xiv. आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

xv. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन), (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

इन योजनाओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकार के संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत लागू किया जा रहा है। सरकार के संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत कई घटक मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं।

(घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आवंटित और व्यय की गई धनराशि इस प्रकार हैः

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय	व्यय
1	2022-23	2612.66	837.68
2	2023-24	2608.93	1032.65
3	2024-25	1868.18	1396.01

(ङ): मंत्रालय ने योजना कार्यान्वयन के सुदृढ़ निगरानी ढांचे के माध्यम से अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए धन के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है जिसमें व्यापक विषयजांचसूची, वास्तविक निरीक्षण और एक समर्पित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के सम्पूर्ण डिजिटलीकरण को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग और जनता/लाभार्थी से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करना शामिल है।

*****